

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो/एम-92/2017/395

दिनांक: 30-6-17

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्री राधेश्याम सैनी वरिष्ठ रेडियोग्राफर	राजकीय डी.बी.जनरल चिकित्सालय चूरु	1.7.1958	30.6.2018
2.	श्री कालूराम मीना वरिष्ठ रेडियोग्राफर	महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर	2.5.1958	31.5.2018
3.	श्री रमनलाल रावल रेडियोग्राफर	सामान्य चिकित्सालय सिरोही	23.9.1958	30.9.2018
4.	श्री मुरारी लाल मीना नेत्र सहायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर	1.5.1958	30.4.2018

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो/एम-92/2017/395

दिनांक: 30-6-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय डी.बी.जनरल जिला अस्पताल चूरु/अधीक्षक महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरोही/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालेसर जिला जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।
3. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)